



## फर्द अहकाम

राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच :- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायाधीश मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।  
 न्यायालय :- सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, मुण्डावर (जिला अलवर) राजस्थान


दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	..... <u>प्रितम सिंह</u> ..... बनाम..... <u>इमरान खान</u> ..... प्रकरण संख्या ..... <u>०५/२३</u> .....	

**11-02-23** प्रकरण आज राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच के समक्ष रखा गया।  
 प्रार्थी/वादी राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वयं उपस्थित  
 आये। वादी/प्रार्थी ने प्रकरण को विद्रो कर खारिज किये जाने का निवेदन  
 किया। पक्षकार अब प्रकरण को चलाना नहीं चाहता/चाहते है। अतः प्रकरण  
 को विद्रो कर खारिज किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

  
 सचस्य  
 राष्ट्रीय लोक अदालत

  
 अध्यक्ष  
 राष्ट्रीय लोक अदालत

**13/02/23** प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच से प्राप्त हुआ।...वादी अब प्रकरण  
 को चलाना नहीं चाहता है। अतः...वादी पत्र अन्तर्गत धारा ४४, ४९, १९४ को विद्रो  
 कर खारिज किया जाता है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।  
 पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जमा  
 अभिलेखागार हो। सुनाया गया।

  
**सहायक कलक्टर**  
**मुण्डावर (अलवर) राज०**

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील में जारी हु

प्रितमसिंह बनाम इमरान वगैरह

दिनांक 16.01.2023

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 राजस्व वाद के साथ पेश किया। अभिभाषक/प्रार्थी का अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन रहा। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। जिसके मुताबिक प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में ही साबित प्रतीत होता है

अतः अप्रार्थीगण 01 लगायत 04 को आगामी नियत दिनांक 20.02.2023 तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख0 नं0 645, 817 वाके ग्राम खरेटा तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) में से प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी तरह की बाधा पैदा नहीं करे, राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे रहन बय हिबा आदि प्रकार से मुन्तकिल ना करे।। क्योंना उक्त आदेश ताफैसला दावा सम्पुष्ट कर दिया जावे? कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत आकर अपना-अपना जवाब पेश करे। वास्ते तलवी अप्रार्थीगण वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड तलवी हेतु नोटिस तलवाना पेश करे, जारी हो। उक्तानुसार वकील प्रार्थी द्वारा आगामी नियत दिनांक पूर्व तलवी नहीं कराये जाने की स्थिति में उपरोक्त जारी अन्तरिम स्थगन आदेश आगामी नियत दिनांक को निरस्त समझे जावेंगे। बाद तलवी पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.02.2022 को पेश हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।

सहायक कलक्टर  
मुण्डावर (अलवर) राज0

नोट पेश  
जिम्मेदार

08/02/23 आज यद्यपि पत्रावली वादी/प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर तलब डर पेशी में ली गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना का प्रस्तुत अ निवेदन किया है कि फाकातान इवन वसा प्रार्थी का 212 RTA को विद्रो करवाता - पाछे ही तथा प्रार्थी का 212 RTA में आगे कोई प्रार्थना ही नहीं करवाता - पाछे ही प्रार्थनी को अवलोकन किया तथा प्रार्थी वकील को सुना गया। प्रार्थनी का स्वीकार कर प्रार्थना का 212 RTA

इसोक्षर पर विद्वा विद्याजाकर आर्यज मित्राजिणाहे  
फावली फेसल सुमार होकर सव्य से कम धे आइ  
पुति सेलग्न वाव रहे।

सहायक कलक्टर  
मुण्डावर (अलवर) राज०